"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2006—फाल्गुन 26, शक 1927

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बदलू राम गौतम आत्मज श्री शिवराम गौतम निवासी मकान नं. बी. 2, श्रीराम नगर कालोनी, वार्ड नं. 5 रामनगर मोतीपुर रोड राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं जो अपने नाम को परिवर्तित कर बृजेन्द्र राज गौतम आत्मज श्री शिवराम गौतम कर लिया हूं तथा इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मुझे बृजेन्द्र राज गौतम आत्मज श्री शिवराम गौतम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
बदलू राम गौतम आत्मज श्री शिवराम गौतम पता - मकान नं. बी-2 श्रीरामनगर कालोनी, वार्ड नं. 5 रामनगर मोतीपुर रोड, राजनांदगांव (छ. ग.)	बृजेन्द्र राज गौतम आत्मज श्री शिवराम गौतम पता - मकान नं. बी-2 श्रीरामनगर कालोनी, वार्ड नं. 5 रामनगर मोतीपुर रोड, राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती किरन बाई धर्मपत्नी श्री गोमाजी गजभिये निवासी क्वा. नं. 5-डी, एन. पी. ए., सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. गं.) की हूं जो कि अपने पुत्र शैलेष कुमार का नाम परिवर्तित कर शैलेन्द्र कुमार पिता श्री गोमाजी गजभिये कर ली हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: भविष्य में मेरे पुत्र को शैलेन्द्र कुमार पिता श्री गोमाजी गजभिये के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
शैलेष कुमार पिता श्री गोमाजी गजभिये क्वा. नं. 5-डी, सड़क एन. पी. ए., सेक्टर 11, जोन 1, खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)	शैलेन्द्र कुमार पिता श्री गोमाजी गजभिये क्वा. नं. 5-डी, सड़क एन. पी. ए., सेक्टर 11, जोन 1, खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं लालचन्द आत्मज श्री साहेब यादव निवासी क्वा. नं. - 2 G, सड़क नं. 33, सेक्टर नं. 1 भिलाई जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं जो कि अपने उपनाम यादव को जोड़कर लालचन्द यादव आत्मज श्री साहेब यादव कर लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मुझे लालचन्द यादव आत्मज श्री साहेब यादव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
लालचन्द आ. साहेब यादव क्वा. नं. - 2 G, सड़क नं. 33 सेक्टर-1 भिलाई जिला- दुर्ग (छ. ग.)	लालचन्द यादव आ. साहेब यादव क्वा. नं. - 2 G, सड़क नं. 33 सेक्टर-1 भिलाई जिला- दुर्ग (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2006

निविदा क्रमांक 44/त.शा./बिलासपुर, दिनांक 25-01-06 का प्रथम संशोधन

क्रमांक 916/त.शा./का. अ./लो. स्वा./2006.—उपरोक्त निविदा में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

(1) निविदा स्पीडपोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त किया जावेगा.

(2) द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना की जगह संक्षिप्त निविदा आमंत्रण पढ़ा जावे.

(3) निविदा बेचने तथा प्राप्त करने की तिथि में निम्न संशोधन कर निम्नानुसार नियत किया जाता है :—

1.	निविदा प्रपत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:	9-3-2006
2.	निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की तिथि	:	10-3-2006
3.	निविदा स्पीडपोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	:	16-3-2006
4.	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि तथा समय	:	17-3-2006 पूर्वान्ह 11.30 बजे

निविदा की अन्य शर्तें यथावत् रहेगा.

बिलासपुर, दिनांक 15 फरवरी 2006

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण

निविदा क्रमांक 45/त.शा./का. अ./लो. स्वा./05-06.—मुहरबंद निविदाएं प्रपत्र- "अ" में निम्नलिखित उल्लेखित नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ. ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है. निविदा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है.

निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	09-03-2006 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय	:	13-03-2006 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	:	20-03-2006 (अपरान्ह 5.30 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	21-03-2006 (पूर्वान्ह 11.30 बजे तक)

कार्य का विवरण

बिलासपुर जिले के विकासखण्ड कोटा में स्थित ग्राम झिंगटपुर एवं ग्राम सोनपुरी नल जल योजना के तहत जल वितरण प्रणाली के लिये विभिन्न आकार के यू. पी. व्ही. सी. पाइप क्लास 6 बी बिछाने एवं जोड़ने का कार्य/कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का संलग्न शेड्यूल के अनुसार स्थल पर प्रदाय, बिछाने एवं जोड़ने का कार्य (विभागीय टाइप डिजाइन के अनुसार) समस्त सिविल कार्य तथा वाल्व चैम्बर, स्टेण्डपोस्ट इत्यादि तथा पाइपलाइन चालू करने का एकमुश्त कार्य. (सभी सामग्री सहित).

समूह क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम झिंगटपुर विकासखंड कोटा	9.21 लाख	6910/-	750/-	4 माह	ए-1 एवं उससे ऊपर.
2.	ग्राम - सोनपुरी (ढोलमौहा) विकासखण्ड कोटा.	6.49 लाख	4890/-	750/-	3 माह	ए-1 एवं उससे ऊपर.

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. कार्य के लागत की 60 प्रतिशत कार्य एक वित्तीय वर्ष में संपादन करने का प्रमाण-पत्र. (कार्यपालन अभियंता एवं उनसे उच्च अधिकारी) का प्रस्तुत करने पर ही निविदा में आवेदन की पात्रता रहेगी.

3. यह निविदा विज्ञप्ति संबंधित निविदा का अंग है. विस्तृत निविदा सूचना एवं संबंधित प्रपत्रों की सारी शर्तें एवं नियमों के साथ इसके शर्ते भी लागू होंगे.

4. धरोहर की राशि के रूप में सिर्फ Interest bearing Security ही मान्य होगा.

5. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

6. कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित दर सूची इस निविदा में लागू होगी.

सिविल कार्य

(अ) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन) भोपाल की नई दर सूची दिनांक 1-11-1999 जो इस विभाग में लागू की गई है.

(ब) पाइप लाइन बिछाने का कार्य :- प्रमुख अभियंता, लोक स्वा. यां. विभाग, भोपाल (म. प्र.) की नयी Unified Schedule of Rates for the work of water supply & Sewerage pipe lines inforce from 1-9-2002 जो कि छ. ग. शासन उप-सचिव, लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1597/सचिव/लो.स्वा.यां./रायपुर, दिनांक 1-10-2004 के अनुसार लागू की गई है.

6. कार्य में लगने वाले यू. पी. व्ही. सी. पाइप वाल्व, स्पेशल्स, टायटन, ज्वाइंट/सी. आई. डी. ज्वाइंट एवं अन्य आवश्यक सामग्री को स्वयं लगाना होगा. प्रदाय की जाने वाली सामग्री D.G.S. & D./S.G.C./RITES द्वारा संबंधित I.S. Code के अनुसार निरीक्षित एवं सत्यापित होनी चाहिये.

7. सक्षम अधिकारी को निविदा स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

8. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

(Attested copy)

(1) छ. ग. शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण-पत्र.
(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.
(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निष्पादन प्रमाण-पत्र के साथ संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये समान प्रकार के कार्यों की सूची, कार्य अनुबंधवार छ. ग. शासन के विक्री पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र तथा कार्य का नाम मंडल/विभाग का नाम, कार्य की मात्रा, प्रगति में कार्य की स्थिति तथा टिप्पणियों के साथ कार्य की सूची संलग्न करना होगा. सफलतापूर्वक कार्य के संपादन हेतु उपलब्ध उपकरण/संयंत्रों की पूरी सूची.

9. छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 1-10-04 के अनुसार कार्य के निरीक्षण में Third party Inspection का प्रावधान रखा गया है. इस तरह का निरीक्षण, बिलासपुर संभाग के अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम अधिकारी (बिलासपुर खंड को छोड़कर) समय-समय पर किया जावेगा. निरीक्षण के पश्चात् ही Payment schedule के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान कार्य गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात् किया जावेगा.

10. कार्य का 10% राशि देयक से रोक कर रखा जावेगा तथा उक्त राशि पाइप लाइन के संपूर्ण टेस्टिंग के उपरांत अंतिम देयक के साथ प्रदाय किया जावेगा.

11. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

12. निविदा सूचना छ.ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders में भी उपलब्ध रहेगी. टेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E-MAIL के माध्यम से Pramarao @ e.g.nic. कर सकते हैं.

आर. के. गेंदले,
कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 2 मार्च 2006

पूरक मतदाता सूचियों के कम्प्यूटराईजेशन एवं मुद्रण हेतु सीमित

निविदा सूचना

क्रमांक / 152/सा. निर्वा./सं.पू./स्टोर/निविदा/06.—भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार दंतेवाड़ा जिले के 3 विधान सभा क्षेत्रों के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2006 पश्चात् तैयार किये गये पाण्डुलिपियों के अनुसार मतदाता सूचियों के डाटा इन्ट्री (कम्प्यूटराईजेशन तथा मुद्रण) कार्य के लिये निम्न शर्तों के साथ निविदा आमंत्रित की जाती है.

01. निविदा के तहत निविदाकार को अपना प्रस्ताव रु. 5000/- (पांच हजार रुपये) के बैंक ड्राफ्ट, जिला निर्वाचन अधिकारी दन्तेवाड़ा को देय होंगे के साथ जमा करना होगा. यह प्रस्ताव दिनांक 20-3-2006 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दन्तेवाड़ा में जमा किया जा सकता है.

02. निविदाकार को अपने निविदा प्रविष्ट के साथ फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य है तथा कार्य अनुभव संबंधी प्रतिवेदन तथा उपलब्ध साधन जैसे कम्प्यूटर, प्रिंटर की संख्या एवं आफसेट प्रिंटिंग के साधन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराना होगा.

03. सफल निविदाकार को प्रति विधान सभा रु. 5000/- (पांच हजार रुपये) के हिसाब से सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दन्तेवाड़ा के साथ करारनामा निष्पादित करना होगा.

04. पूरक मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण का कार्य समयावधि में पूर्ण किया जाना है, इसलिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश को पूर्णत: पालन करते हुये राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था (चिप्स) के तकनीकी मार्गदर्शन में मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण तथा मुद्रण का कार्य प्रति मतदान केन्द्र 10 (दस) प्रतियों में करना होगा.

05. शासकीय मुद्रणालय से कागज की व्यवस्था नहीं हो पाने की दशा में सफल निविदाकार को कागज की व्यवस्था स्वयं को करना होगा जो 60 जी. एस. एम. व्हाईट आफसेट पेपर का होगा. जिसकी गुणवत्ता व दर शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से प्रमाणित कराया जाना होगा.

06. मतदाता सूचियों की प्रथम चेक लिस्ट प्रदाय करने की समय सीमा दिनांक 07-6-2006 निर्धारित की जाती है तथा द्वितीय चेक लिस्ट दिनांक 12-6-2006 तक इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा. जिससे कि दिनांक 16-6-2006 तक अंतिम रूप से परीक्षण किया जा कर 04 (चार) प्रतियों में प्रकाशन कराये जाने हेतु वापस प्रदाय किया जा सके, इस समय सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित निविदाकार को विलम्ब के लिये प्रति विधान सभा प्रथम सप्ताह में 500/- (पांच सौ) रुपये प्रतिदिन एवं द्वितीय सप्ताह में 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिदिन दण्ड आरोपित किया जावेगा, जिसकी वसूली उनके द्वारा जमा सुरक्षा निधि से अथवा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतान से कटौती कर के की जावेगी. अपरिहार्य परिस्थितियों में समय सीमा में वृद्धि करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा, जिसका उपयोग अन्य परिस्थितियों में विचार कर अंतिम विकल्प के रूप में किया जा सकेगा, परन्तु यह आवश्यक नहीं होगा.

07. कार्य का स्वरूप :-

(अ) संक्षिप्त पुनरीक्षण पश्चात् पूरक मतदाता सूचियों की डाटा इन्ट्री (कम्प्यूटराईजेशन) एवं मुद्रण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था (चिप्स) के मार्गदर्शन एवं तकनीकी निर्देशन अनुसार कम्प्यूटराईजेशन तथा मुद्रण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व साफ्टवेयर का अनुमोदन लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति से ही कार्य सम्पन्न किया जायेगा एवं मतदान केन्द्रवार 10 (दस) प्रतियों में मुद्रित प्रतियों को जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा.

(ब) सफल निविदाकार को मतदाता सूचियों के पृष्ठों की संख्या की गणना के आधार पर स्वीकृत दर के अनुसार भुगतान किया जावेगा.

08. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप, आकार, प्रकार तथा निर्धारित पद्धति से ही मुद्रण का कार्य सम्पन्न किया जावेगा. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि पाये जाने पर निविदाकार को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान प्राप्त करने से वंचित किया जा सकेगा.

09. निविदा जमा करने के इच्छुक व्यक्ति निविदा फार्म एवं अन्य शर्तें रु. 100/- (सौ रुपये) जमा कर इस कार्यालय से कार्यालयीन समय पर प्राप्त कर सकते हैं.

10. इच्छुक निविदाकार अपने निविदा की दरें सील बंद लिफाफे में समय सीमा दिनांक 20-3-2006 को अपरान्ह 3.00 बजे तक जमा कर सकते हैं. दिनांक 20-3-2006 को ही अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित सभी निविदाकारों के समक्ष निविदा खोली जावेगी प्राप्त निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दन्तेवाड़ा के पास सुरक्षित होगा तथा इस संबंध में कारण बताना आवश्यक नहीं होगा.

के. आर. पिस्दा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक/82/प्र.1/अविअ/05.—चूंकि संस्थापक श्री मोहन राठी, मैनेजिंग ट्रस्टी, छत्तीसगढ़ महेश सेवा निधि भिलाई नगर ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951, 1951 का धारा 30 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्याया. में दिनांक 15 फरवरी 2006 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 15 फरवरी 2006 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम एवं संपत्ति का वर्णन)

(1)	लोक न्यास का नाम	:	छत्तीसगढ़ महेश सेवा निधि, भिलाई नगर
(2)	चल संपत्ति	:	रु. 3, 32,000/-

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजनांदगांव

प्रारूप क्रमांक 5
[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के समक्ष

राजनांदगांव, दिनांक 22 फरवरी 2006

क्रमांक/33/अनु. अधि./2006.—अत: मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब, इसलिये मैं एम. एल. सिरदार, लोक न्यासों का पंजीयक राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव. मेरे न्यायालय में दिनांक 24 मार्च, 2006 के दिवस शुक्रवार पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम	:	श्री प्रेमप्रकाश आ. नथमल अग्रवाल मुख्य प्रबंधक, भारत माता सेवा संस्थान एवं सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट राजनांदगांव.
(2)	चल संपत्ति	:	ओरियेण्टल बैंक आफ कामर्स शाखा राजनांदगांव में सेविंग बैंक खाता क्रमांक 003611 में जमा राशि 59938.00 रु.
(2)	अचल संपत्ति	:	लखोली कैलाश वार्ड राजनांदगांव स्थित भूमि ख. नं. 297/103 रकबा 0.07 डी. मी. =283.00 वर्ग मीटर परि. लगान 24.00 रुपया प्लाट कीमती 1,84,000.00 रु.

एम. एल. सिरदार,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2006

क्रमांक/317/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री अमीत जीवन आत्मज श्री लखीराम जीवन रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 5-12-2005 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	अमीत जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	विजया बैंक खाता नं. 76050, राशि 21,000=00
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

क्रमांक/328/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री जी. एल. बावरिया अधिवक्ता मेघमार्केट सिटी कोतवाली रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 20-3-2006 को होगी:-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	लायन्स क्लब रायपुर ग्रेटर चैरिटेबल ट्रस्ट, रायपुर, मेघमार्केट सिटी कोतवाली रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	केनरा बैंक रायपुर खा. संख्या 20834, राशि 2001=00 (दो हजार एक रुपये).
(3)	अचल संपत्ति	:	ख. नं. 332/1-3 रकबा 0.266 हे.

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

आदेश द्वारा श्री के. के. एस. ठाकुर (रा. व. से.) वन मण्डल अधिकारी, खैरागढ़ वनमंडल, खैरागढ़ (छ. ग.)

खैरागढ़, दिनांक 28 जनवरी 2006

RA
15
N↑D

आदेश क्रमांक/81.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शित आकृति का पर्सनल हैमर उप वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पत्र क्रमांक/69 दिनांक 25-2-03 के द्वारा परिक्षेत्र सहायक मुढीपार को द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी खैरागढ़ के विभागीय एवं शासकीय कार्य में उपयोग हेतु प्रदाय किया गया था. उक्त हैमर दिनांक 20-7-05 को टिंगामाली परिसर के कक्ष क्रमांक 317 में परिसर रक्षक के साथ जंगल गश्त करते समय जंगली मार्ग में गिर कर गुम हो गया एवं काफी खोजबीन करने के पश्चात् भी नहीं मिलने पर पुलिस थाना गातापार (जंगल) में दिनांक 27-7-05 को तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक मुढीपार श्री के. डी. सिंह उप वनक्षेत्रपाल ने गुमशुदा प्रकरण दर्ज कराकर प्रतिवेदन वन परिक्षेत्र कार्यालय खैरागढ़ में प्रस्तुत किया थाना प्रभारी गातापार (जंगल) के दर्ज रिपोर्ट तथा परिक्षेत्र अधिकारी खैरागढ़ के पत्र क्रमांक/104 दिनांक 20-1-2006 के द्वारा उक्त गुमशुदा हैमर को अपलेखन हेतु अनुमोदन एवं उप वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ के अनुशंसा के आधार पर अपलेखन किया जाना प्रस्तावित है. अत: वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त दर्शित आकृति के पर्सनल हैमर को वनमंडल खैरागढ़ के स्कंध से अलग कर अपलेखित किया जाता है. यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस पर्सनल हैमर को अनाधिकृत रूप से रखते हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त पर्सनल हैमर की अनुमानित कीमत 100/- (एक सौ रुपये मात्र) श्री के. डी. सिंह उप वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक मुढीपार से वसूली करने का आदेश दिया जाता है. तथा शासकीय वस्तु प्रभार में लापरवाही एवं सुरक्षित नहीं रखने के लिए श्री के. डी. सिंह उप वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक मुढीपार को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी जाती है.

के. के. एस. ठाकुर,
रा. व. से.
वन मण्डल अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.